न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 07 / 2018	23—02—2018	16—01—2019

1—मानसिंह दत्तक पुत्र बाबूलाल जाति मीना निवासी ग्राम तिगरिया तहसील कठूमर।

—अपीलान्ट

बनाम

1—किस्तुरी पुत्री भगवान पत्नी नत्थी जाति मीना
2—नहनी पुत्री भगवान पत्नी रामकिशन जाति मीना निवासीयान हाल ग्राम सौंख तहसील कठूमर।
3—छोटी पुत्री भगवान पत्नी सुखपाल जाति मीना निवासी ग्राम हाल जालूकी तहसील नगर जिला भरतपुर राज0।
4—तहसीलदार, कठूमर जिला अलवर।

—रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार कठूमर का निर्णय दिनांक 25.11.2016 नामान्तकरण संख्या 1415 ग्राम बमनपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर।

उपस्थितः—
01. श्री मूलचन्द चौधरी —वकील अपीलान्ट
02. जगदीश प्रसाद शर्मा —वकील रेस्पोडेन्ट्स

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कठूमर के आदेश दिनांक 25.11.2016 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 1415 ग्राम बमनपुरा तहसील कठूमर, जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट को दिनांक 09.01.2016 को हुई जबकि उपखण्ड अधिकारी कठूमर के समक्ष विचाराधीन वाद में अपीलांट का प्रा0पत्र 212 आरटीएक्ट खारिज किया गया। राजस्व रिकार्ड की नकलें लेने से जानकारी हुई कि रेसपोडेन्ट ने उक्त आराजी का इंतकाल दर्ज व स्वीकार करा लिया गया है। इसके पश्चात् बना देरी के अपील पेश की गई। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0पत्र अलग से पेश किया गया। इंतकाल दिनांक 19.10.2016 को दर्ज किया गया था तथा उक्त दिनांक से तीस दिवस के अन्दर इंतकाल स्वीकार करने का अधिकार ग्राम पंचायत को था। यदि ग्राम पंचायत तीस दिवस में इंतकाल स्वीकृत नहीं करती है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वार इंतकाल की कार्यवाही की जा सकती थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त इंतकाल दर्ज व स्वीकार करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। ना ही वारिसान की जांच की गई जबकि विवादित आराजी अपीलांट को उसके दत्तक पिता बाबूलाल से प्राप्त हुई है। मिन अपीलांट को बाबूलाल द्वारा विधिवत् गोद लिया था। जिसका गोदनामा दिनांक 19.07.2011 को किया गया। जिस तथ्य की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को पूर्व में ही थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेसपोडेन्ट के प्रभाव में आकर गलत तौर पर इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आराजी बाबत एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी कठूमर के समक्ष विचाराधीन था। जिसके बावजूद भी दौराने वाद उक्त इंतकाल दर्ज व स्वीकार कर दिया गया। पक्षकारान् जाति से मीना है। जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होते है। जिससे रेसपोडेन्ट्स का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को यह जानकारी थी कि बाबूलाल विवाहित था जिसकी पत्नी का नाम सोमोती था जो बाबूलाल द्वारा अपीलांट को गोद लेने से पहले ही गुजर गई थी। बाबूलाल दिनांक 28.08.2016 को निःसंतान फौत हो गया। बाबूलाल मिन अपीलांट के पिता के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र.)
अलवर (राज0)

पास रहता चला आ रहा था तथा अपीलांट के पिता के राशन कार्ड में बाबूलाल का नाम दर्ज चला आ रहा है। बाबूलाल ने अपना वंश चलाने के लिए दिनांक 09.07.2011 को मिन अपीलांट को गोद ले लिया था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया। अपीलांट मृतक बाबूलाल के जीवनकाल से ही विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। अपीलांट ने गोद के बाद से ही बाबूलाल के मरते समय तक सेवा–चाकरी की है। विवादित आराजी से रैस्पोडेन्ट्स को कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आज्ञा पारित होने से पहले अपीलांट को नोटिस जारी कर बुलाना चाहिए था। उक्त तमाम कार्यवाही मिन अपीलांट के पिछे से बाला–बाला की गई है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर को आदेश दिनांक 25.11.2016 जिसके जरिये बाबूलाल का विरासत इंतकाल संख्या 1415 वाके ग्राम बमनपुरा तहसील कठूमर दर्ज व स्वीकार किया गया है को निरस्त किये जाने की कृपा करें। अपील के समर्थन में आर.आर.डी 2007 पेज 470, आर.आर.डी 2012 पेज 414, आर.आर.डी. 2006 पेज 577, 464 आर.आर.डी. 2002 पेज 31, आर.आर.डी 1985 पेज 170, आर.आर.टी. 2017(2) पेज 1348, आर.आर.डी. 1998 पेज 319 और आर.बी.जे. 2006 पेज 198 पेश किये है।

विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा बनवाया गया गोदनामा बनावटी एवं झूटा है। गोदनामा फर्जी तौर पर तैयार करवाया गया है जिसके आधार पर यह हक लेना चाहते है। उक्त गोदनामा बाबूलाल की मृत्यु के बाद अलवर में तैयार करवाया गया है जबकि कठूमर में भी तैयार हो सकता था। उक्त गोदनामा रजिस्टर्ड भी नहीं है व उनके हस्ताक्षर भी नहीं है। बाबूलाल की वसीयत में उनकी तीनों बहनों का अधिकार था। मानसिंह द्वारा बाबूलाल की मृत्यु के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। जिस विवाद को लेकर उपखण्ड अधिकारी कठूमर के यहां वाद चल रहा है, वह समरी प्रोसिडिंग नहीं है। अतः जब रेगुलर स्यूट पेंडिंग है तो अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें। रैस्पो0 ने अपने जवाब के समर्थन में आर.बी.जे. 2013 पेज 21 कृष्णपाल सिंह बनाम राजस्व मण्डल अजमेर तथा आर.बी.जे. 2011 पेज 559 पेश किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 25.11.2016 के विरुद्ध दिनांक 08.02.2018 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 1 वर्ष से अधिक समय विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब की अवधि असाधारण नही है फिर भी प्रार्थना पत्र दफा–5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रुख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि उक्त विवादित आराजी के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर में वाद विचाराधीन है तो इंतकाल के संबंध में इस न्यायालय से कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उक्त वाद का जो भी निर्णय हो उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर कार्यवाही करें। राजस्व वाद के निर्णय होने तक यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझती है। रैस्पो0 द्वारा पेश की गई नजीर आर.बी.जे 2013 पेज 21 कृष्णपाल सिंह बनाम राजस्व मण्डल अजमेर पूर्णतया चस्पा होती है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16–01–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

COURT OF THE ADDL. COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)